"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2013—— पौष 10, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ -5-12/आठ-परि./2013. — केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि :-

1. परिवहन यानों के निम्नलिखित वर्ग स्पीड गवर्नर (गति नियंत्रक उपकरण) लगाने हेतु नियम 118 में विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार होंगे, अर्थात् :-
   - (एक) प्रक्रम वाहनें ;
   - (दो) संविदा वाहनें, जो 7+1 बैठक क्षमता से अधिक है ;
   - (तीन) मेक्सी - केब;
   - (चार) शैक्षणिक संस्था बसें/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किराये पर ली गई बसें ;
   - (पांच) निजी सेवा वाहनें (परिवहन);
   - (छः) ओमनी बसें (परिवहन);
   - (सात) मोटर - कैब;
   - (आठ) पर्यटक यान जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अंतर्गत जारी अनुज्ञापत्र से आच्छादित हैं ;
   - (नौ) मालयान, तिपहिया माल वाहनों को छोड़कर.

2. गति नियंत्रक निम्नानुसार लगाये जायेंगे :-
   - (एक) अरजिस्ट्रीकृत परिवहन यानें, पंजीकरण के समय, दिनांक 1-10-2013 से प्रभावी होंगी.
   - (दो) रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानें उपयुक्तता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय दिनांक 31-5-2014 से प्रभावी होंगी.
   - (तीन) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करते समय अन्य राज्य की परिवहन यानें दिनांक 30-11-2013 से प्रभावी होंगी.

3. संबंधित पंजीयक प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम - 118 में विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार परिवहन यान में गति नियंत्रक लगाया गया है.

No. F-5-12/viii-Trans/2013. — The State Government, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, hereby, notifies that :-

1. The following category of transport vehicles shall be fitted with a Speed Governor (speed limiting device) confirming to the standards specified in rule 118, namely :-
   (i) Stage Carriages;
   (ii) Contract Carriages with seating capacity exceeding 7+1;
   (iii) Maxi-Cabs;
   (iv) Educational Institutional Buses/buses hired by Educational Institutions;
   (v) Private service vehicles (Transport);
   (vi) Omni Buses (Transport);
   (vii) Motor-Cabs ;
   (viii) Tourist vehicles covered by permits issued under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988;
   (ix) Goods vehicles except 3 wheeler goods vehicles;

2. The speed Governor shall be fitted in respect of :-
   (i) Unregistered transport vehicles at the time of registration, with effect from 01-10-2013.
   (ii) Registered transport vehicles at the time of renewal of fitness certificate, with effect from 31-05-2014.
   (iii) Transport Vehicles from other States entering into the State of Chhattishgarh with effect from 30-11-2013.

3. The concerned registering authority shall confirm whether the speed governor fitted in the transport vehicle conform to the standards specified in rule 118 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.